कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा

संख्या– 1029 /नाजिर सदर

दिनांक–दिसम्बर, 29 2017

ई–निविदा सूचना

निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन बांदा के "डी" ब्लाक के अन्तर्गत अवशेष पुराने भवनों (पुलिस मालखाना, ज्येष्ठ अभियोजन कार्यालय, पुलिस आबकारी मालखाना, जनरेटर रूम निर्वाचन) के स्क्रेप मैटेरियल की सार्वजनिक नीलामी हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा के लिये विस्तृत विवरण बेवसाइड http/etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

ई–निविदा दिनॉक 01.01.208 से 09.01.2018 तक बेवसाइड http/etender.up.nic.in में डाली जा सकती है। आमंत्रित ई–निविदा जिलाधिकारी कार्यालय में एन0आई0सी0/ई–गवर्नेन्स सेल कलेक्ट्रेट बांदा में नीलामी हेतु निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष निविदा दिनॉक 10.01.2017 को खोली जायेगी।

1–अपर जिलाधिकारी वि0/रा0बांदा	अध्यक्ष
2–नगर मजिस्ट्रेट,बांदा	सदस्य
3–आहरण वितरण अधिकारी	सदस्य
4–प्रशासनिक अधिकारी कले0बांदा	सदस्य

ई–निविदा की शर्ते

1–निविदादाता को धरोहर धनराशि के रूप में मु0–50,000/–रू0 (पचास हजार रू0) का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी बांदा के पक्ष में बनवाकर उसकी साफ्ट कापी आनलाइन करना होगा। साथ ही निविदादाता को अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र भी आनलाइन करना अनिवार्य होगा।

2–निविदा खोलने के समय सर्वाधिक निविदादाता को निविदा धनराशि का 1/4 भाग नीलामी स्थल पर ही नगद जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा जमा धरोहर धनराशि बहक सरकार जब्त करते हुए द्वितीय वरीयता प्राप्त के पक्ष में निविदा स्वीकार किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–निविदादाता को निविदा अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने के 3 दिवसों के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा की धनराशि समय से जमा न करने की दशा में धरोहर धनराशि बहक सरकार जब्त करते हुए पुनः निविदा कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

4–निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदादाता का दायित्व होगा कि वह ब्लॉक "डी" के अन्तर्गत अवशेष पुराने भवनों (पुलिस मालखाना, ज्येष्ठ अभियोजन कार्यालय, पुलिस आबकारी मालखाना, जनरेटर रूम निर्वाचन) के स्क्रेप मैटेरियल को डिमालिश करते हुए अपने खर्च पर स्थल से एक पक्ष के भीतर अनिवार्य रूप से हटाकर स्थल रिक्त कर देगा। इस दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगें।

5–निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार या निरस्त किये जाने का अधिकार ई–निविदा समिति/जिलाधिकारी,बांदा को होगा, जो सभी को मान्य होगा।

6–निविदादाता को निविदा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त स्क्रेप मैटेरियल एक पक्ष में स्थल से हटाना होगा यदि वह नियत अवधि में स्क्रेप मैटेरियल हटाने में असमर्थ रहता है, तो निविदा निरस्त करते हुए पुनः निविदा कराये जाने की कार्यवाही की जाएगी तथा निविदा की धनराशि बहक सरकार जब्त की जायेगी।

7–निविदादाता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदा में अंकित सभी शर्ते निविदादाता को स्वीकार है।

8–निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में प्रस्तावित ब्लाक के निष्प्रयोज्य भवनों का निरीक्षण कर सकते है। साथ ही अन्य किसी जानकारी के लिये सदर नजारत कार्यालय,बांदा से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

अपर जिलाधिकारी,(वि0/रा0)
बांदा।

पृ0संख्या– 1029(5)/नाजिर सदर, तददिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– समिति के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–डी0आई0ओ0,एन0आई0सी0बांदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– ई–डिस्ट्रिक मैनेजर बांदा को इस निर्देश के साथ कि ई–निविदा को बेवसाइड पर पब्लिस कराना सुनिश्चित करें।

4– ब्यूरो चीफ ....को न्यूनतम स्थान, दर पर प्रकाशनार्थ।

अपर जिलाधिकारी,(वि0/रा0)
बांदा।